>

Title: Need to provide reservation benefits to Muslims in Central and State Government services.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक एवं रोजगार की स्थिति की सच्चर कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में, खास तौर से उस वर्ग के लोगों की जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, को अलग से आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर-हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गयी है और उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। प्रावधान होने के बाद भी बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। केंद्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है, इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया हुई है। मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के स्तर से केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें। धन्यवाद।